



Neutral Citation No. 2026:AHC:58217

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 1752 वर्ष 2026

इंद्रजीत राम उर्फ नंदू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : अखिलेश कुमार सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. दिनांक 19.2.2026 की कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान जमानत आवेदन की सूचना व्यक्तिगत रूप से विपक्षी संख्या 2/सूचनाकर्ता को तामील कर दी गई है। हालांकि, विपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही उनकी ओर से कोई प्रति-शपथ पत्र दाखिल किया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री रूपक चौबे को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 163 वर्ष 2025, धारा 137(2), 87, 65(1) बी.एन.एस. और 5/6 पॉक्सो एक्ट, थाना- सहतवार, जिला- बलिया में मुकदमे के लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
4. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। घटना 25.7.2025 को घटित होना बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 22.8.2025 को दर्ज की गई थी। यह देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। पीड़िता बालिग है। जीवन में लाभ दिलाने के उद्देश्य से पीड़िता के माता-पिता द्वारा स्कूल के

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिकॉर्ड में पीड़िता की आयु गलत तरीके से दर्ज कराई गई थी। स्कूल अभिलेख में पीड़िता की आयु से संबंधित प्रविष्टि का कोई कानूनी आधार नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया कि पीड़िता ने बी.एन.एस. की धारा 180 और 183 के तहत अपने बयानों में कहा है कि उसने अपनी स्वेच्छा से घर छोड़ा था और आवेदक के साथ बदायूं और पटना गई थी। पटना में उसने आवेदक से शादी की थी, उसके बाद वे असम गए और वहां 15 दिनों तक रहे। उसने स्वेच्छा से आवेदक के साथ संबंध स्थापित किए। इस स्तर पर, आवेदक को अपराध से जोड़ने के लिए कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। आवेदक 22.9.2025 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन अभिलेख के आधार पर उपरोक्त दलीलों का संतोषजनक ढंग से खंडन नहीं कर सके।
6. पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया पाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज की गई थी। पीड़िता ने बी.एन.एस. की धारा 180 और 183 के तहत अपने बयानों में कहा है कि उसने अपनी स्वेच्छा से घर छोड़ा था और आवेदक के साथ बदायूं और पटना गई थी। पटना में उसने आवेदक से शादी की थी, उसके बाद वे असम गए और वहां 15 दिनों तक रहे। उसने स्वेच्छा से आवेदक के साथ संबंध स्थापित किए। इस स्तर पर, आवेदक को अपराध से जोड़ने के लिए कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अलावा, आवेदक वर्तमान में लगभग छह महीने से जेल में बंद है और मुकदमे के शीघ्र समाप्त होने की कोई आशा नहीं है, विशेष रूप से तब जब राज्य द्वारा ऐसी कोई उचित आशंका सामने नहीं लाई गई है कि आवेदक, यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा या गवाहों को डराएगा; मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक, **इंद्रजीत राम उर्फ नंदू** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए:
- i. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
 - ii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा;
 - iii. आवेदक ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।
8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

20 मार्च, 2026

(विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।